

मैं यह भी जानना चाहता हूँ—क्या आपने इस पर भी विचार किया है कि इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा जाय, गृह मंत्रालय की मारफत राज्य सरकारों पर दबाव डलवायें कि इस तरह के आफेन्स करने वाले लोग कहीं किसी तरह से जुमनि और मान की जब्ती से ही न छूटें बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो।

श्री मुहम्मद शकी कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, रेलवे 19 करोड़ टन माल की दुलाई करती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की अनस्कुमुलस एक्टिविटीज़ में इन्डलज होते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : आज तो उनकी तादाद काफी हो गई है।

श्री मुहम्मद शकी कुरेशी : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि सब बेईमान हैं, लेकिन चन्द जरूर बेईमान हैं जो बेईमानी करके नाजायज़ फायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हमने फैसला किया है कि टाइम को कम कर देंगे। अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट आई तो उसको दूर किया जा सकता है।

लेकिन जहाँ तक रेलवे की बंगन्ज के इस्तेमाल का ताल्लुक है अगर इनके इस्तेमाल में कोई रुकावट पैदा होती है तो उसको दूर करने के लिये, जैसा मेम्बर साहब ने कहा है, हम को कानून में कोई तरमीम लानी पड़ेगी और वह तरमीम हम जरूर लायेंगे, क्योंकि बदले हुए हालात के तेहत अगर कानून न बदला जाय तो वह कानून बेकार हो जाता है।

13.24 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-EIGHTH AND TWENTY-NINTH REPORTS

SHRI D. BASUMATARI (Kokra-jhar): I beg to present the following Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Twenty-eighth Report on action taken by Government on the Recommendations contained in their Fourteenth Report on the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Reservations for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in (i) the Hindustan Steel Limited (Headquarters Organisation); (ii) Bhilai Steel Plant; (iii) Rourkela Steel Plant; (iv) Durgapur Steel Plant; and (v) Bokaro Steel Limited.

(2) Twenty-ninth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Nineteenth Report on the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)—Reservation for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in selected Major Ports viz., Bombay, Mormugao and Cochin on West Coast; and Madras, Visakhapatnam and Calcutta on East Coast

13.26 hrs.

PETITION RE NATIONALISATION OF PLANTATION INDUSTRY AND TRADE

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West): I beg to present a petition signed by Shri Rattan Lal Brahman, Vice-President, All-India Plantation Workers Federation, Calcutta, and others regarding nationalisation of plantation industry and trade.

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 668 RE UNIFORMITY IN SELECTION ETC. OF VICE-CHANCELLORS

MR. SPEAKER: Prof. Nurul Hasan, may lay the statement on the Table.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): I beg to lay on the Table a statement correcting the reply given to Parts (b) and (c) of Starred Question No. 668 on 15th April, 1974 by Shri N. C. Parashar regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors.

Statement

In reply to Parts (b) and (c) of the Starred Question No. 668 asked by Shri N. C. Parashar on April 15, 1974 in this House regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors, it was stated that the age of retirement of Vice-Chancellors of Central Universities is 65 years. The position stated was slightly incorrect. While necessary provision for the retirement of the Vice-Chancellors at the age of 65 years has been made in the Statutes of the Aligarh Muslim University, Delhi University, Jawaharlal Nehru University, North-Eastern Hill University and the Visva-Bharati, proposal for making a similar provision in the Statutes of the Banaras Hindu University is still under consideration.

It is regretted that the inaccuracy could not be detected earlier.

13.28 hrs.

RE CONDUCT OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के सामने यह बात बड़ी मोच-समझ कर कह रहा हूँ—मेरे पास एक-आध मेम्बर ने लिख कर भी भेजा है, एक मेम्बर साहब ने जवानी भी बात की है, अपोजीशन के और इधर के मेम्बरों ने भी कहा है—इस हाउस के एक मेम्बर कुछ दिन हुए किसी गलत हालत में इस हाउस में आ गये और काफ़ी शोर शराबा किया। चेयरमैन ने भी अपना खुलासा करवाने के लिये कहा—

चलो, मेरी गलती थी, छोड़ जाइये। मैंने इस बारे में कुछ मेम्बरस से सलाह की है कि क्या करना चाहिये। किसी ने भी उसको एप्रूब नहीं किया कि ऐसा कण्डकट होना चाहिये मेरे पास दो-तीन दफ़ा पहले भी शिकायतें आई हैं कि ऐसी हालत में किसी बिज़नेसमैन के पास चले गये, कभी होटल में चले गये...

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने ग्राण्ड होटल में बैठ कर वियेटर किया था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बहुत सी शिकायतें मेरी नोटिस में आई थीं, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा था, फिर भी उनको बेनिफिट दे दिया गया—कुछ पी कर वह बँठते हैं। लेकिन बढ़ते-बढ़ते काम ज्यादा खराब हो गया कि वह अन्दर तक भी पहुँचे। तो मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस के बारे में एक्शन लेने के लिये सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि इतना ही कह दूँ, नाम नहीं लेता, नहीं जानते हैं, देखिये दुनिया में घर बँठे कुछ करते हैं, बाहर भी कुछ करते हैं और आजकल तो किसी में कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन हाउस में आ कर ऐसे करें मैं इसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूँ। बाहर हो जाये तो उसकी रेमेंडी भी अवैल है पुलिस के हवाले विये जा सकते हैं, लेकिन हाउस के अन्दर तो मैं और हाउस ही एक्शन ले सकते हैं। इसलिये कुछ अच्छा बात नहीं जंची। तीन साल से तीन-चार मंत्वा शिकायत आयी, पहले कहीं बिज़नेसमैन के पास चले गये यह नहीं दोगे, वह नहीं करोगे, मुझे कहा गया। लेकिन कुछ हद होनी चाहिये। बाहर होते-होते हाउस में अब आ गये, और बेचारे चेयरमैन ने अपनी खलासी कराने के लिये गले से उतारी बात इसलिये दोनों तरफ से मुझे को कहा गया। यह न सोचिये कि इसमें मैं चुप बैठा मैं हूँ। सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिये।